



2026:AHC:48077

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 963 वर्ष 2026

राम कुमार और 6 अन्य

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : दीपक सिंह, हरीश चंद्र सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : अचल सिंह, सी.एस.सी.

कोर्ट नंबर - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय,

1. याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री हरीश चंद्र सिंह, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री हरि मोहन श्रीवास्तव, तथा प्रतिवादी-गाँव सभा की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अचल सिंह को सुना गया।
2. प्रस्तुत रिट याचिका निम्नलिखित अनुतोषों के लिए दायर की गई है:-

"अ. मेंडमस की प्रकृति का कोई रिट, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 को निर्देश दिया जाए कि वह याचिकाकर्ता की 29.09.2025 तिथि की स्थगन याचिका, जो कि रिवीजन संख्या 70/2008-2009, कम्प्यूटरीकृत केस संख्या ए एल2008071991085 राम कुमार एवं अन्य बनाम कमिशनर, चित्रकूट धाम मंडल, बांदा एवं अन्य में लंबित है पर निर्णय करें और जब तक स्थगन याचिका का निर्णय नहीं हो जाता तब तक संबंधित प्रतिवादी प्राधिकरणों को निर्देशित किया जाए कि वे क्षेत्र लेखपाल द्वारा 27.08.2025 को जारी नोटिस के अनुपालन में याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई न करें।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इस नोटिस में याचिकाकर्ताओं को यह निर्देश दिया गया है कि वे विवादित भूमि अर्थात् गाटा संख्या 581, जिसका क्षेत्रफल 0.455 हेक्टेयर है जो ग्राम - रानीपुर भट्ट, तहसील - करवी, जिला - चित्रकूट में स्थित है, पर अपनी निर्माण कार्य को हटा दें।

(बी) मेंडमस की प्रकृति का कोई रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, जिसमें निजी प्रतिवादियों को यह निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप न करें।"

3. याचिकाकर्ताओं के वकील का कथन है कि याचिकाकर्ताओं के पूर्ववर्ती द्वारा उत्तर प्रदेश जमीन अधिनियम एवं भूमि सुधार अधिनियम (U.P. Z.A. & L.R.) की धारा 229-बी के अंतर्गत दायर मुकदमा, प्रथम दृष्टि न्यायालय द्वारा अवैध और मनमाने ढंग से खारिज कर दिया गया। उन्होंने यह निवेदन किया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर प्रथम अपील भी समय-सीमा के आधार पर खारिज कर दी गई थी। उन्होंने यह निवेदन किया कि वर्ष 2008-09 में याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर पुनरीक्षण को राजस्व बोर्ड द्वारा 14.2.2017 को स्वीकार कर लिया गया था और एक अंतरिम आदेश जारी किया गया था। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि उपर्युक्त पुनरीक्षण को बाद में, 18.1.2025 को, चूक (default) के आधार पर खारिज कर दिया गया। उन्होंने निवेदन किया कि बहाली की अर्जी पर, रिवीजन को बहाल कर दिया गया है, लेकिन कोई नया अंतरिम आदेश

जारी नहीं किया गया है। उन्होंने निवेदन किया कि रिवीजन के शीघ्र निपटारे के लिए उचित निर्देश जारी किए जाएं और जब तक रिवीजन का निपटारा न हो जाए, तब तक याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अंतरिम सुरक्षा प्रदान की जाए।

4. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यू.पी. ज़ेड.ए. और एल.आर. अधिनियम की धारा 229-बी के तहत कार्यवाही में पारित आदेश के विरुद्ध वर्ष 2008-09 में पुनरीक्षण दायर किया गया था लंबित पुनरीक्षण का निर्णय विधि के अनुसार, शीघ्रता से किया जाना चाहिए।

5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1/राजस्व बोर्ड, यू पी. प्रयागराज, उपर्युक्त पुनरीक्षण पर यथाशीघ्र-अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 2 महीने की अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अवधि के भीतर—कानून के अनुसार, संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, निर्णय ले।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय,)

10 मार्च, 2026

सी. प्रकाश

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।